अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

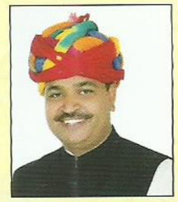

टीकाराम जूली
मंत्री, सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता विभाग, राजस्थान

निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा संचालित मुख्य योजनाएं

आज़ादी का अमृत महोत्सव

अनुक्रमणिका

निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा संचालित मुख्य योजनाएं

क्र.स.	विवरण	पृष्ठ स.
1.	निदेशालय विशेष योग्यजन की स्थापना	1
2.	आयुक्तालय विशेष योग्यजन, राजस्थान	1
	राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजनाएं	
3.	विशेष योग्यजन राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना	2
4.	विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना	3
5.	मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना	4
6.	संयुक्त सहायता अनुदान योजना	5
7.	विशेष योग्यजन छात्रवृति योजना	6
8.	विशेष योग्यजन चिन्हिकरण योजना	7
9.	आस्था योजना	8
10.	विशेष योग्यजन खेलकूद योजना	9
11.	न्यूमोकोनिओसिस (सिलिकोसिस) नीति	10
12.	हॉफ-वे-होम	11
13.	राजकीय मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जामडोली, जयपुर	12
14.	स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह/विद्यालय	12
	भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाएं	
15.	सुगम्य भारत अभियान	13
16.	एडिप योजना	13
17.	दिव्यांगजन हेतु विशेष प्रावधान	14
18.	भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगता की 21 श्रेणियां एवं पहचान के प्रमुख लक्षण	15
19.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय-सम्पर्क सूत्र	19
20.	दिव्यांगजन हेतु सहायक एवं पुनर्वास उपकरण	20

निदेशालय विशेष योग्यजन की स्थापना

वर्ष 2011–12 की बजट घोषणा संख्या 64 ''निःशक्तजनों की अल्प एवं दीर्घ अवधि की समस्याओं के समाधान हेतु अलग से निदेशालय स्थापित करने की घोषणा'' की पालना में आदेश क्रमांक 80621 दिनांक 19.10.11 से निदेशालय प्रारम्भ कर दिया गया। निःशक्तजन निदेशालय का नाम परिवर्तित कर विशेष योग्यजन निदेशालय करने हेतु मंत्रीमण्डल की आज्ञा 41/2012 दिनांक 14 फरवरी, 2012 को जारी की गई, महामहिम राज्यपाल महोदय के अनुमोदन उपरान्त दिनांक 01.03.12 को अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसका 6 मार्च 2012 को राजस्थान राज–पत्र विशेषांक में प्रकाशन हो चुका है।

आयुक्तालय विशेष योग्यजन, राजस्थान

निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 79(1) में राजस्थान राज्य में राज्य आयुक्त, विशेष योग्यजन की नियुक्ति का प्रावधान है। समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना दिनांक 3.5.1999 द्वारा आयुक्त, सामाजिक सुरक्षा को निःशक्तजन अधिनियम 1995 की धारा 60(1) के तहत अपिलेट अथोरिटी घोषित किया हुआ है।

- निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 में किये गये प्रावधानों की पालना करवाये जाने हेतु निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 82 के तहत राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन को सिविल न्यायालय के समकक्ष शक्तियां प्राप्त है।
- राजस्थान राज्य में विशेष योग्यजन को होने वाली शिकायतों/समस्याओं आदि का निस्तारण आयुक्तालय द्वारा किया जाता है ।

विशेष योग्यजन राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना

निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसम्बर को 2 श्रेणियों में यथा सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन व्यक्तियों एवं विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, स्वयं सेवी संस्था, कार्यालय, एजेंसियों एवं अन्य को पुरस्कृत किया जाता है। जिसमें 10,000/–से 15,000/– रुपये प्रति व्यक्ति/संस्था को नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र, प्रतीक चिन्ह प्रदान किये जाते है।

लाभान्वित वर्ग (श्रेणियाँ)

1. सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन व्यक्ति ।
2. विशेष योग्यजन क्षेत्र में कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, स्वयं सेवी संस्था, कार्यालय, एजेंसियों एवं अन्य।

पात्रता

1. राजस्थान का मूल निवासी हो।
2. राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित हो।

आवेदन

विज्ञप्ति द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया जाता है तत्पश्चात् आवेदक अपने जिले के जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्पर्क कर निर्धारित श्रेणी एवं प्रारूप में जिलाधिकारी को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।

आवेदन के साथ औपचारिकताएं

निर्धारित आवेदन पत्र एवं विशेष योग्यजन कल्याण के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यो का विवरण, आवश्यक प्रमाण पत्र तथा श्रेणी अनुसार निःशक्तता दर्शाता फोटो एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र ।

विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना

विशेष योग्यजन युवक/युवतियों को विवाहोपरान्त सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने हेतु रुपये 50,000/– प्रति दम्पत्ति आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। यह योजना दिनांक 01.07.20 से ऑनलाईन की जा चुकी है।

पात्रता

1. प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
2. प्रार्थी के पास चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक का निःशक्तता प्रमाण पत्र हो।
3. विशेष योग्यजन वर की आयु 21 वर्ष व वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
4. संरक्षक/माता–पिता अथवा आवेदक स्वरोजगार में हो तो समस्त स्त्रोतों से परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रूपये से अधिक न हो।

आवेदन आनॅलाइन की स्थिति में आवेदन राज्य के किसी भी ई–मित्र अथवा एस.एस.ओ पोर्टल www.sso.rajasthan.gov.in के 'SJMS DSAP' आईकन के माध्यम से आवेदन वाछित दस्तावेजों सहित करना होगा।

आवेदन के साथ औपचारिकताएं

- शादी का कार्ड
- निःशक्तता प्रमाण–पत्र
- वर–वधु के माता–पिता का शपथ–पत्र
- आय का शपथ पत्र
- विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र

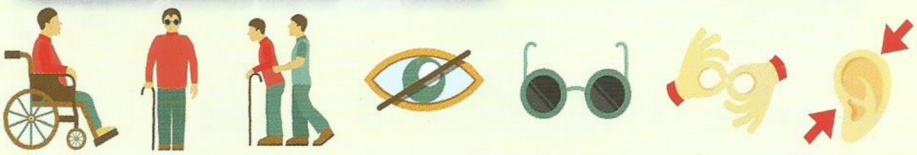

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना

इस योजना के अन्तर्गत राज्य के ऐसे विशेष योग्यजनों को जिनकी स्वयं की एवं परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये तक है, स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिये 5.00.लाख रूपये तक की राशि ऋण के रूप में विभिन्न बैकों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है जिस पर ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू 50 हजार जो भी दोनों में कम हो राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। यह योजना दिनांक 01.07.20 से ऑनलाईन की जा चुकी है।

पात्रता

1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
2. भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (The Rights of Persons with Disabilities Act) 2016 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन होना चाहिये। जिसकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या अधिक होना चाहिये।
3. आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष हो।
4. आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो।
5. आवेदक द्वारा पूर्व में कियोस्क योजना अथवा अन्य किसी योजना में स्वरोजगार व्यवसाय योजना के अन्तर्गत सब्सिडी आदि का लाभ नहीं लिया गया हो।
6. आवेदक पर किसी भी बैंक, सहकारी अथवा अर्द्ध सरकारी संस्था का अवधि पार ऋण बकाया नहीं हो।

आवेदन कहां किया जावे

आर्नलाइन की स्थिति में राज्य के किसी भी ई–मित्र अथवा एस.एस.ओ पोर्टल www.sso.rajasthan.gov.in के 'SJMS DSAP' आईकन के माध्यम से अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में।

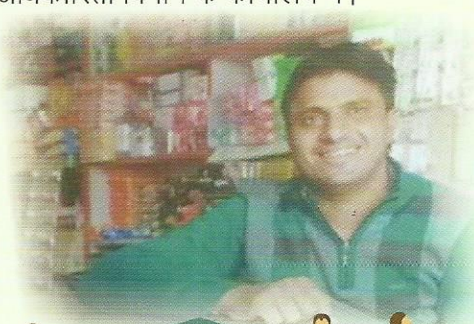

संयुक्त सहायता अनुदान योजना

पात्र विशेष योग्यजनों, जिनका परिवार आयकर दाता नहीं है, को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता एवं शारीरिक कमी को पूर्ण करने के लिए 10,000/— रुपये तक के कृत्रिम अंग/उपकरण उपलब्ध करवाये जाते हैं यथा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल, बैसाखी, व्हीलचेयर, कैलीपर्स, श्रवण यंत्र, ब्लाइंड स्टिक, स्मार्ट मोबाइल फोन, स्कूटी, जयपुर फुट/शूज/पाम पेड इत्यादि।

पात्रता

1. प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
2. प्रार्थी को चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो, जो कि 40 प्रतिशत से कम का नहीं हो।
3. प्रार्थी जो किसी रोजगार में हो अथवा स्वरोजगार में लगा हुआ हो, उसके परिवार सहित समस्त स्रोतों से प्राप्त आय के आधार पर आयकर दाता नहीं हो।

आवेदन

सम्बन्धित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित करना होगा।

आवेदन के साथ औपचारिकताएं

- निःशक्तता प्रमाण—पत्र
- आय प्रमाण—पत्र
- जन्म प्रमाण—पत्र
- आय का शपथ पत्र
- पहचान प्रमाण—पत्र इत्यादि वांछित दस्तावेज

विशेष योग्यजन छात्रवृति योजना

राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नियमित अध्ययनरत विशेष योग्यजन छात्र/छात्राएं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक न हो ऐसे परिवारों के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की सुविधा दी जा रही है।

पात्रता

1. प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
2. छात्र/छात्रा के अभिभावक/संरक्षक की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. छात्र/छात्रा पूर्व में अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति/भत्ता राज्य सरकार अथवा स्वयंसेवी संस्था/ ट्रस्ट से प्राप्त नहीं कर रहा हो।
4. छात्र/छात्रा गत वर्ष की कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया हो।
5. आवेदक के पास अधिकृत चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
6. छात्र/छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।

आवेदन

सम्बन्धित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित करना होगा।

आवेदन के साथ औपचारिकताएं

- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा)
- स्वनियोजित पिता/संरक्षक की आय हेतु शपथ पत्र अथवा नियोजित पिता/संरक्षक का नियोजक से प्राप्त आय प्रमाण पत्र।
- पिछले वर्ष की अंक तालिका की प्रमाणित प्रतियां।

विशेष योग्यजन चिन्हिकरण योजना

भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (The Rights of Persons with Disabilities Act) 2016 के तहत 40 प्रतिशत एवं अधिक निःशक्तताधारी विशेष योग्यजनों के सर्वे का कार्य किया जाता है एवं सर्वे के पश्चात 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तताधारी विशेष योग्यजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किये जाते है एवं UDID Card जारी करवाये जाते है।

पात्रता

1. प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
2. 40 या 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता विशेष योग्यजन ।

आवेदन

आनॅलाइन ई—मित्र केन्द्र से वांछित दस्तावेजों सहित आवेदन करना होगा।

आवेदन के साथ औपचारिकताएं

- पहचान प्रमाण—पत्र ।
- मूल निवास प्रमाण—पत्र इत्यादि।
- जन आधार कार्ड

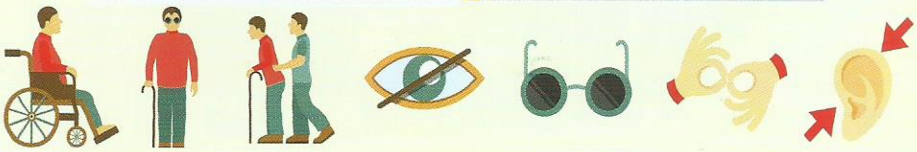

आस्था योजना

"आस्था" ऐसे परिवार जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन होने पर, उन परिवारों को आस्था कार्ड जारी किये जाते है, जिससे इन परिवारों को बी.पी.एल. के समकक्ष सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2013–14 से आस्था कार्डधारी परिवारों को राज्य सरकार के सभी संबंधित विभागों द्वारा B.P.L. के लिये चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा तथा आस्था कार्डधारियों के लिये बजट का प्रावधान सभी संबंधित विभाग अपनी विभागीय योजनाओं के साथ रखते है।

लाभान्वित वर्ग

वे परिवार जिनमें दो या दो से अधिक सदस्य 40 या 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन हों।

पात्रता

ऐसे परिवार जिनमें दो या दो से अधिक सदस्य विशेष योग्यजन हों और उस परिवार की वार्षिक आय रू1.20 लाख से अधिक नहीं हों।

आस्था कार्ड बनाने की प्रक्रिया

ऐसे परिवार जिनमें दो या दो से अधिक सदस्य विशेष योग्यजन हों जिनके यू.डी.आई.डी. कार्ड (यूनिक डिसेबिलिटी आई.डी.) बने हुए है, उन परिवारों के लिये जारी किये जाने वाला आस्था कार्ड यू.डी.आई.डी. कार्ड (यूनिक डिसेबिलिटी आई.डी.) के डेटा के माध्यम से निदेशालय स्तर पर ही प्रिंट करवाकर जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला स्तर पर वितरित किये जाते है।

हॉफ-वे-होम

वर्ष 2019–20 की बजट घोषणा संख्या 111 ''मानसिक रूग्णता वाले ऐसे व्यक्ति जो अस्पताल में ठीक हो गये हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से अपने घर नहीं लौट पाते हैं, उनके पुनर्वास हेतु जयपुर व जोधपुर में 50–50 की क्षमता के हॉफ–वे–होम की स्थापना की जायेगी। हॉफ–वे–होम में चिकित्सा कर्मियों द्वारा उनकी नियमित देखभाल की जायेगी'' की अनुपालना में जयपुर एवं जोधपुर में निम्नांकित संस्थाओं द्वारा हॉफ–वे–होम संचालन प्रारम्भ कर दिया गया हैः–

क.सं.	नाम संस्था	स्थान
1.	तंवर शिक्षण संस्थान, जोधपुर	बैनाड़ रोड़, जोधपुर
2.	मानव धर्म विकलांग सेवा संस्था, टोंक	सेठी कॉलोनी, जयपुर

उक्त हॉफ–वे–होम में निम्नांकित सुविधाऐं दी जा रही हैः–

1. निःशुल्क आवास
2. निःशुल्क भोजन
3. निःशुल्क चिकित्सा सुविधाऐं
4. अन्य आवश्यक सुविधाऐं

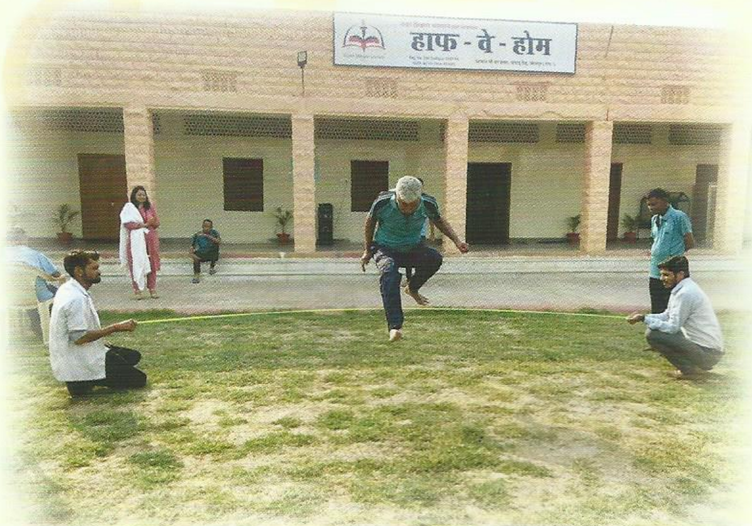

राजकीय मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह

राज्य मे मानसिक विमन्दित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह की स्थापना, समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1983 मे की गई। यह राज्य सरकार का एक मात्र गृह है, जिसका संचालन राज्य सरकार द्वारा नियमित अधिकारी/कर्मचारियों एवं संवेदकों की देखरेख में किया जा रहा है। वर्तमान में बालक विंग में 133 एवं महिला विंग में 190 आवासी निवास कर रहे हैं।

देय सुविधाएं

1. निःशुल्क आवास
2. निःशुल्क भोजन
3. निःशुल्क चिकित्सा सुविधाऐं
4. अन्य आवश्यक सुविधाऐं

स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह/विद्यालय

स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष योग्यजनों के पुनर्वास, प्रशिक्षण हेतु तीनों श्रेणी यथा–मूक बधिर, नेत्रहीन एवं मानसिक विमंदित विशेष विद्यालय/आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से मानसिक विमंदित श्रेणी के विशेष योग्यजनों के पुनर्वास हेतु 38 मानसिक विमंदित पुनर्वास गृहों का संचालन किया जा रहा है। इस हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है।

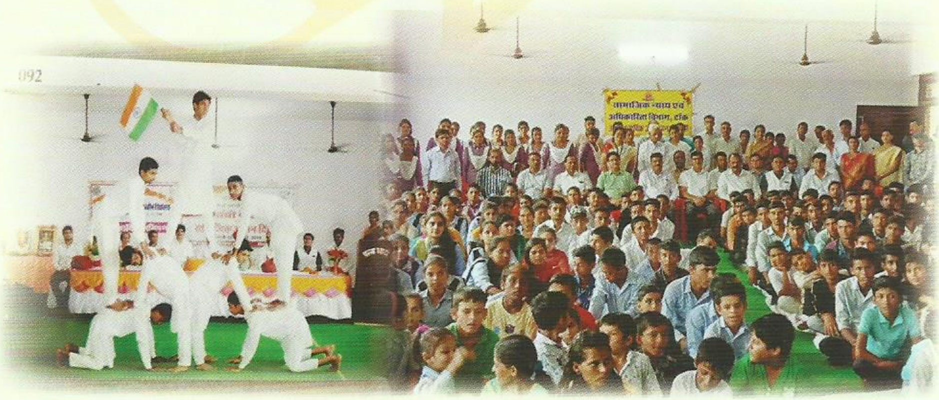

• सुगम्य भारत अभियान

सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत विशेष योग्यजनो की सुगम आवाजाही एवं बाधारहित वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जयपुर शहर में स्थित 78 राजकीय भवनों को दिव्यांगजन फ्रैन्डली बनाया जा चुका है ।

• एडिप योजना–दिव्यांगजनों के लिए अंग / उपकरण खरीदने व लगाने हेतु योजना

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता अनुसार कृत्रिम अंग / उपकरण यथा, बैसाखी, केलीपर्स, व्हील चैयर, ट्राई–साईकिल, श्रवण यंत्र, ब्लाईण्ड स्टिक,स्मार्ट मोबाइल आदि उपलब्ध कराये जा रहे है।

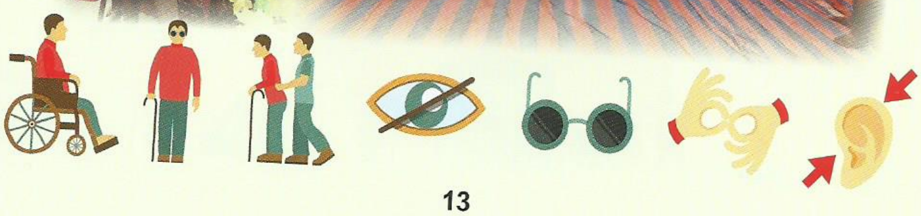

विशेष योग्यजनों को देय आरक्षण राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 राजस्थान राजपत्र में 24 जनवरी, 2019 को प्रकाशित किया जा चुका है तथा उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार राज्य में सरकारी सेवाओं मे विशेष योग्यजनों को 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

विशेष योग्यजन हेतु पदोन्नति में आरक्षण राज्य में विशेष योग्यजनओं को राजकीय सेवा में पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने हेतु राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 21.10.2021 को प्रकाशित की गयी है, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से राज्य के विशेष योग्यजनों को राजकीय सेवाओं में पदोन्नति में 4 प्रतिशत आरक्षण के साथ–साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट तथा अंकों में 5% रियायत संबंधी लाभ मिल सकेंगे

भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (The Rights of Persons with Disabilities Act) 2016 के तहत दिव्यांगता की 21श्रेणियां

क्र.स.	दिव्यांगता की 21 श्रेणियां
1	शारीरिक निःशक्तता (Physical Disability)
A	(1) गति विषयक निःशक्तता (Locomotor Disability) (2) कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति (Leprosy Cured Person) (3) प्रमस्तिष्क घात (Cerebral Palsy) (4) बौनापन (Dwarfism) (5) बहुदुष्पोषण (Muscular Dystrophy) (6) अम्ल आक्रमण पीड़ित (Acid Attack Victims)
B	दृष्ट्रिगत ह्रास (Visual Impairment) (7) अंधता (Blindness) (8) निम्न दृष्ट्रि (Low-Vision)
C	(9) श्रवण शक्ति का ह्रास (Hearing impairment) (i) बधिर (Deaf) (ii) ऊँचा सुनने वाला व्यक्ति (Hard of Hearing)
D	(10) अभिवाक् व भाषा निःशक्तता (Speech & Language Disability)

2	(11) बौद्धिक निःशक्तता (Intellectual Disability) (12) विनिर्दिष्ट विद्या निःशक्तता (Specific Learning Disabilities) (13) स्वलीनता स्पैक्ट्रम विकार (Autism Spectrum Disorder)
3	मानसिक व्यवहार (Mental Behavior) (14) मानसिक रुग्णता (Mental illness)
4	निम्नलिखित के कारण निःशक्तता (Disability Caused Due to) (15) चिरकारी तंत्रिका दशाएें (Chronic Neurological Conditions) (16) बहु–स्केलेरोसिस (Multiple Sclerosis) (17) पार्किसन रोग (Parkinson's Disease)
	रक्त विकृति (Blood Disorder) (18) हीमोफीलिया (Hemophilia) (19) थैलेसीमिया (Thalassemia) (20) सिक्कल कोशिका रोग (Sickle Cell Disease)
5	(21) बहु निःशक्तता (Multiple Disabilities)

भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 21श्रेणियां के दिव्यांगता की पहचान के प्रमुख लक्षण

चलन निःशक्ता (Locomotor Disability)

- हाथ या पैर अथवा दोनो की निःशक्ता
- लकवा
- हाथ या पैर कट जाना

मांसपेशी दुर्विकास (Muscular Dystrophy)

- मांसपेशीयों में कमजोरी एवं विकृति

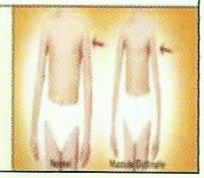

बौनापन (Dwarfism)

- व्यक्ति का कद व्यस्क होन पर भी 4 फुट 10 इंच या 147 सेमी या इससे कम होना

तेजाब हमला पीड़ित (Acid Attack Victim)

- शरीर के अंग हाथ/पैर/आंख
- आदि तेजाब हमले की वजह
- से असामान्य/प्रभावित होना

कुष्ठ रोग से मुक्त (Leposy-Cured)

- हाथ या पैर या अंगुलिया में विकृति • टेडापन
- शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे
- हाथ या पैर या अंगुलियां सुन्न हो जाना

सेरेब्रेल पाल्सी (Cerebral Palsy)/पोलिया/नर्व इंजरी

- पैरों में जकड़न
- चलने में कठिनाई
- हाथ से काम करने में कठिनाई

दृष्टि बाधित (Blinness)

- देखने में कठिनाई
- पूर्ण दृष्टिहीन

अल्प दृष्टि (Low-Vision)

- कम दिखना (60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में रंगों की पहचान नहीं कर पाना)

श्रवण बाधित (Hearing Impairment)

- बहरापन
- ऊंचा सुनना या कम सुनना

मूक निःशक्ता (Speech Impairment)

- बोलने में कठिनाई
- सामान्य बोली से अलग बोलना
- जिसे अन्य लोग समझ नहीं पाते

ऑटिज्म (Autism Spectrum Disorder)

- किसी कार्य पर ध्यान केन्द्रित करने में कठिनाई
- आँखे मिलाकर बात न कर पाना
- गुमसुम रहना

स्पेसिफिक लर्निंग डिसऐबिलिटी (Specific Learning Disabilities)

- बोलने, श्रुत, लेख, लेखन, साधारण जोड़, बाकी, गुणा, भाग में आकार, भार, दूरी इत्यादि समझने में कठिनाई

मानसिक मंदता (Mental Reardation)

- समझने/बोलन में कठिनाई
- अभिव्यक्त करने में कठिनाई

बौद्धिक निःशक्तता (Intellectual Disability)

- सीखने, समस्या समाधान, तार्किकता आदि में कठिनाई
- प्रतिदिन के कार्यों में सामाजिक कार्यों में एवं अनुकूलन व्यवहार में कठिनाई

मानसिक रोगी (Mental Illness)

- अस्वाभाविक व्यवहार
- खुद से बाते करना
- भ्रम जाल
- मतिभ्रम
- व्यसन (नशे का आदि)
- किसी से डर/भय
- गुमसुम रहना

हीमोफीलिया/अधि रक्तस्त्राव (Hemophilia)

- चोट लगने पर अत्यधिक रक्त स्त्राव
- रक्त बहना बन्द नहीं होना

थैलेसीमिया (Thalassemia)

- खून में हीमोग्लोबिन की विकृति
- खून मात्रा कम होना

स्किल सैल डिजीज (Sickle Cell Disease)

- खून की कमी अत्यधिक कमी (रक्त अल्पता)
- खून की कमी से शरीर के अंग/अवयव खराब होना

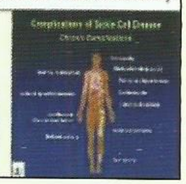

मल्टीपल स्कलेरोसिस (Multiple Sclerosis)

- दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी

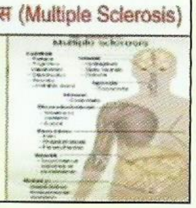

पार्किंसंस रोग (Parkinsons Disease)

- हाथ/पांव/मांसपेशियों में जकडन
- तंत्रिका तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाई

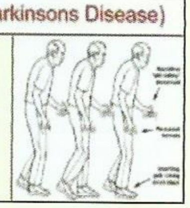

बहु निःशक्तता (Multiple Disabilities)

- दो या दो से अधिक
- निःशक्तता से ग्रसित

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय - सम्पर्क सूत्र

क्र.	कार्यालय	फोन नं.	ई-मेल
		जयपुर संभाग	
1.	उप निदेशक, जयपुर (शहर)	0141-2786442	dlo.jaiu@rajasthan.gov.in
2.	उप निदेशक, (ग्रामीण)	0141-2209776	dlo.jair@rajasthan.gov.in
3.	सहायक निदेशक, अलवर	0144-2344012	dlo.alw@rajasthan.gov.in
4.	सहायक निदेशक, दौसा	0427-223440	dlo.dau@rajasthan.gov.in
5.	सहायक निदेशक, सीकर	01572-248940	dlo.sik@rajasthan.gov.in
6.	सहायक निदेशक, झुन्झुनू	01592-232884	dlo.jhun@rajasthan.gov.in
		बीकानेर संभाग	
1.	उप निदेशक, बीकानेर	0151-2226681	dlo.bik@rajasthan.gov.in
2.	सहा. निदेशक, श्रीगंगानगर	0154-2463582	dlo.gan@rajasthan.gov.in
3.	जि. प. एवं स.क.अ., चूरू	01562-250943	dlo.chu@rajasthan.gov.in
4.	जि.प.एवं स.क.अ. हनुमानगढ़	01552-261187	dlo.han@rajasthan.gov.in
		अजमेर संभाग	
1.	उप निदेशक, अजमेर	0145-2623044	dlo.ajm@rajasthan.gov.in
2.	सहायक निदेशक, टोंक	01432-254597	dlo.ton@rajasthan.gov.in
3.	उप निदेशक, भीलवाड़ा	01482-232678	dlo.bhi@rajasthan.gov.in
4.	सहायक निदेशक, नागौर	01582-240798	dlo.nag@rajasthan.gov.in
		कोटा संभाग	
1.	उप निदेशक, कोटा	0744-2325491	dlo.kot@rajasthan.gov.in
2.	उप निदेशक, बारां	07453-237121	dlo.ban@rajasthan.gov.in
3.	सहायक निदेशक, बून्दी	0747-244351	dlo.bun@rajasthan.gov.in
4.	सहायक निदेशक, झालावाड़	07432-231215	dlo.jha@rajasthan.gov.in
		उदयपुर संभाग	
1.	उप निदेशक, उदयपुर	0294-2410772	dlo.uda@rajasthan.gov.in
2.	सहायक निदेशक, डूँगरपुर	02964-232264	dlo.dun@rajasthan.gov.in
3.	जि.प.एवं स.क.अ., राजसमंद	02952-221169	dlo.raj@rajasthan.gov.in
4.	सहायक निदेशक, बाँसवाड़ा	02962-254244	dlo.brm@rajasthan.gov.in
5.	सहायक निदेशक, चितौड़गढ़	01472-241083	dlo.chh@rajasthan.gov.in
6.	जि.प.एवं स.क.अ., प्रतापगढ़	01478-221535	dlo.pra@rajasthan.gov.in
		जोधपुर संभाग	
1.	उप निदेशक, जोधपुर	0291-2433473	dlo.jod@rajasthan.gov.in
2.	सहायक निदेशक, जैसलमेर	02992-252517	dlo.jai@rajasthan.gov.in
3.	सहायक निदेशक, बाड़मेर	02982-230009	dlo.bar@rajasthan.gov.in
4.	सहायक निदेशक, सिरोही	02972-222544	dlo.sir@rajasthan.gov.in
5.	सहायक निदेशक, जालौर	02973-222486	dlo.jal@rajasthan.gov.in
6.	सहायक निदेशक, पाली	02932-222706	dlo.pal@rajasthan.gov.in
		भरतपुर संभाग	
1.	उप निदेशक, भरतपुर	05644-223576	dlo.bha@rajasthan.gov.in
2.	जि.प.एवं स.क.अ., धौलपुर	05642-240878	dlo.dha@rajasthan.gov.in
3.	सहा. निदेशक, स. माधोपुर	07462-220467	dlo.saw@rajasthan.gov.in
4.	सहा. निदेशक, करौली	07464-251076	dlo.kar@rajasthan.gov.in

दिव्यांगजन हेतु सहायक उपकरण

ट्राईसाईकिल

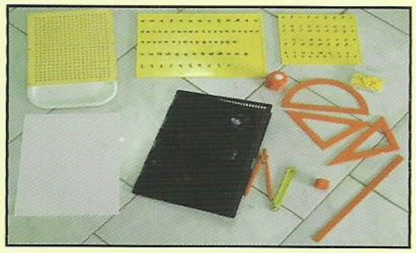

दृष्टि बाधित हेतु ब्रेल शिक्षा किट

व्हीलचेयर

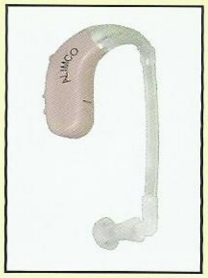

श्रवण यंत्र

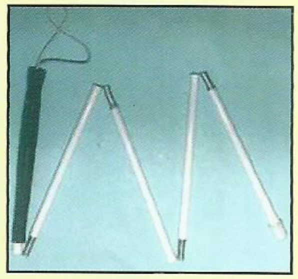

ब्लाइंड स्टिक

दिव्यांगजन हेतु पुनर्वास उपकरण

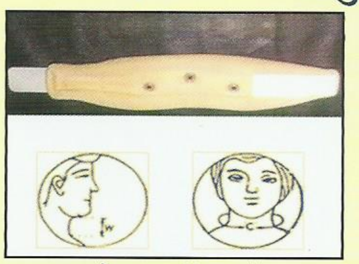

सर्वाइकल कॉलर सॉफ्ट

अपर लिम्ब प्रोस्थैटिक्स (कृत्रिम हाथ)

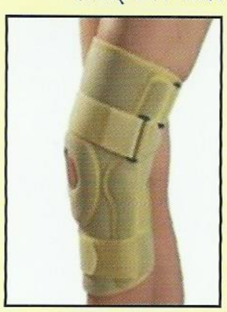

घुटना कवच

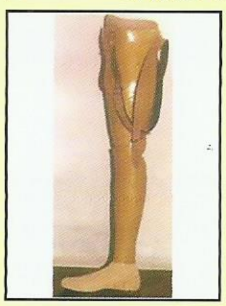

लोअर लिम्ब प्रोस्थैटिक्स (कृत्रिम पैर)

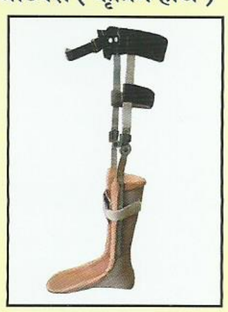

कैलिपर्

निदेशालय विशेष योग्यजन, राजस्थान

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1ए, विशेष योग्यजन भवन, राजमहल होटल के पीछे, जयपुर (राज.)
दूरभाष : 0141-2222249, 2222267
कॉल सेन्टर (टोल फ्री नं.) : 1800-180-6127
ईमेल : dir.dsap@rajasthan.gov.in
वेबसाईट : www.dsap.rajasthan.gov.in